न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 191/2022

(सी.आई.एस.नं.-191/2022)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- रामदयाल पुत्र रामकल्याण, उम्र 21 वर्ष व

2- लेखराज पुत्र नाथूलाल, उम्र 23 वर्ष,

निवासीगण बिन्दायका, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं.

एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री धीरजसिंह झाला, श्री प्रणय झाला व चन्द्रदीप सिंह चौहान, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 18.03.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.09.2022 को परिवादी रमेशचन्द पुत्र रामकल्याण, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिन्दायका ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-2) इस आशय के तथ्यों की पेश की कि आज से करीब 6 माह पहले उनके गांव का रामदयाल पुत्र रामकल्याण, निवासी बिन्दायका उसके मोबाईल की डाटा केबल लेकर गया था, जिसने उसे वापस नहीं की, उसने उससे कई बार कहा कि वह मोबाईल डाटा मांग कर ले गया था, वापस क्यों नहीं कर रहा है। कल दिनांक 31.08.2022 को रात के करीब 8.00 बजे उसने अपने मोबाईल नम्बर 8955792861 से उसके मोबाईल नम्बर 93522383397 पर कॉल कर कहा कि उसे उसकी मोबाईल की डाटा केबल लाकर दे, तो रामदयाल ने कहा कि वह बालाजी के मन्दिर पर है, तु आजा, तेरी मोबाईल डाटज्ञ केबल ले जा। वह उसके घर से बालाजी मन्दिर पर जा रहा था, मन्दिर के पास छापी डेम की नदी के रास्ते पर रामदयाल योगी व उसका दोस्त लेखराज पुत्र नाथूलाल, निवासी बिन्दायका के मिले, जिन्होंने उसे आता देख कर

रामदयाल ने कहा कि तु बार-बार मोबाईल की डाटा केबल मांग रहा है। आज तुझे दे ही देता हूं व दोनों उसे गाली-गलौच करने लगे, वह डर के मारे वापस मुड़कर जाने लगा, तो उसे रामदयाल ने जाते हुए को रोक लिया। रामदयाल ने कहा कि लेखराज इस मादर चोद को पकड़, लेखराज ने उसकी गिरेबान पकड़कर खड़ा रहा व रामदयाल ने पत्थर जमीन से उठाकर उसके सिर में मारी, जो उसके सिर के सामने लगी, खून निकल आया। दोनों वहां से भाग गये। वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया, 10 मिनिट बाद उसका छोटा भाई सोनू परपती गांव की तरफ से आया, जिसने उसे रास्ते में पड़े हुए को उठाया, जिसको उसने घटना के बारे में जानकारी दी। उसके भाई ने रात को उसका प्राथमिक उपचार करवाया। आज रिपोर्ट को आया है, कार्यवाही की जावे, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-468/2022, अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 21.11.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 22.03.2023 को अभियुक्तगण रामदयाल व लेखराज को धारा 341, 323, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 रामकल्याण, पी.ड.-2 रमेश, पी.ड.-3 सोनू, पी.ड.-4 नानूराम, पी.ड.-5 नरेन्द्र पूनिया, पी.ड.-6 डॉ. सत्येन्द्र, पी.ड.-7 गिरधर सिंह, पी.ड.-8 राजेश कुमार व पी.ड.-9 दलीप कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4, पुलिस बयान नानूराम प्रदर्श पी.-5, फर्द गिरफ्तारी मुल. रामदयाल प्रदर्श पी.-6, फर्द

तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.-7, चोट प्रतिवेदन मजरूब रमेश प्रदर्श पी.-8, फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-8 व धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुल. रामदयाल प्रदर्श पी.-9 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गयी। हालांकि साक्ष्य अभियोजन के दौरान पुलिस बयान रामकल्याण उर्फ कल्याणलाल प्रदर्श डी.-1 व प्रदर्श डी.-2 को प्रस्तुत कर प्रदर्शांकित करवाये गये।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी नरेन्द्र मीणा के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है, बल्कि परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के साथ मारपीट की है, जिसका क्रॉस प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। परिवादी पी.ड.-1 नरेन्द्र नागर ने उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 में वर्णित तथ्यों के विपरीत बयान दिये है। गवाह पी. ड.-2 रविकान्त परिवादी का भाई होकर हितबद्ध साक्षी है, जिसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी.ड.-3 सत्यनारायण व पी.ड.-4 रामबिलास ने भी परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के साथ मारपीट किया जाना स्वीकार किया है, जिसका मुकदमा उनके विरूद्ध दर्ज होना बताया है। चिकित्सक साक्षी पी.ड.-5 डॉ. महावीर शर्मा ने मजरूब नरेन्द्र मीणा के चोटें गिरने-पड़ने से आना बताया है तथा गवाह पी.ड.-10 राजीव परिहार द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण से किसी प्रकार का हथियार भी बरामद नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.08.2022 को शाम के करीब 8.00 बजे या इसके लगभग मौजा बिन्दायका में परिवादी रमेशचन्द के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जानक का विधिक अधिकार था तथा परिवादी रमेशचन्द के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए, कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी की लोक शांति भंग करने के आशय से उसके साथ गाली-गलौच कर उसे प्रकोपित व अपमानित किया तथा परिवादी रमेशचन्द के जाति से मेघवाल होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए, उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मोखिक साक्ष्य में कुल 09 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 रामकल्याण परिवादी का पिता है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल भर पहले दिन के 12-1 बजे की बात है। 12 बजे वह भैंसें चरा के आ रहा था, तो लेखराज ने उसके बेटे रमेश को पकड लिया। रामदयाल ने उसके लडके के पत्थर की मारी, उसके लडके के सिर में चोट आयी। मोबाईल में लगाने की डाटा केबल को लेकर इनके बीच में लडाई-झगडा हुआ था जो कि बालाजी मंदिर के पास हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिए थे। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसने लड़ाई-झगड़ा दूर से देखा था। आगे अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी.-1 व डी.-2 का घटना से संबंधित महत्वपूर्ण एवं तात्विक ए से बी भाग सुनकर उसके द्वारा पुलिस को ऐसा बताये जाने से इन्कार किया है तथा इसमें ऐसा क्यों लिखा है, उसे पता नहीं। आगे स्वीकार किया है कि उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 पर पुलिस वालों के कहने पर अंगुठा लगाया था।

11- गवाह पी.ड.-2 रमेश स्वयं मजरूब/परिवादी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल भर पहले रात को 9 बजे की बात है। उसकी रामदयाल से डाटा केबल को लेकर लडाई-झगडा हुआ था। उसने रामदयाल को डाटा केबल दे रखी थी और मांगने पर उसने उसे मां बहन की गाली दी। फिर उसने उससे कहा कि तू गाली क्यों दे रहा है। उसने उसे चीज दे रखी है तो उसे लौटा दे। फिर उसने कहा कि बालाजी के मंदिर पर आ जा, तो वह वहां चला गया। फिर वहां पर लेखराज भी था रामदयाल ने उसे पत्थर की मारी थी। फिर उसका भाई उसे अस्पताल ले गया। उक्त घटना की तहरीरी रिपोर्ट उसके द्वारा थाने पर पेश की गयी, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया। जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडीकल करवाया था। जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसके द्वारा दूसरे दिन की गयी थी तथा तहरीरी रिपोर्ट उसने नहीं लिखी, बल्कि पुलिस ने लिखी उसने तहरीरी रिपोर्ट पर केवल साइन किये थे। आगे कथन किया है कि उसे तहरीरी रिपोर्ट पढकर नहीं सुनायी थी। आगे स्वीकार किया है कि मुलजिमान ने शराब पी रखी थी।

12- गवाह पी.ड.-3 सोनू परिवादी का भाई है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले शाम को 7 बजे की बात है। वह काम करके गांव में आ रहा था, तो रास्ते में बालाजी मंदिर के पास में उसका भाई रमेश पडा मिला। रमेश के सिर पर लगी हुई थी। वह उसको उठाकर अस्पताल ले गया। वहां पर उसके पिताजी भी आ गये थे। रमेश ने होश आने के बाद बताया कि रामदयाल और लेखराज ने उसके साथ चार्जर की बात को लेकर मारपीट की थी। इसके अलावा उसे रमेश ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिए थे। पुलिस ने घटनास्थल देखा और नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर वाई स्थान पर उसका अंगुठा निशानी अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसने उसके भाई रमेश के साथ मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा था। आगे स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसका भाई वहां पर अकेला ही था। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे नक्शा मौका पढकर नहीं सुनाया। उसने पुलिस वालों के कहने पर नक्शे मौके पर साईन कर दिये थे। आगे स्वीकार किया है कि जो उसके भाई ने उसे बताया था, वही आज बता रहा है।

13- गवाह पी.ड.-4 नानूराम मौके का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले शाम को 7-8 बजे की बात है। बालाजी मंदिर के पास लडाई-झगडा हो रहा था। किस-किस के बीच हो रहा था, उसे नहीं पता। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है।

14- गवाह पी.ड.-5 नरेन्द्र पुनिया फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.09.2022 को पुलिस थाना अकलेरा में कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-468/22 में अनुसंधान अधिकारी श्री गिरधरसिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त अकलेरा द्वारा मुलजिम रामदयाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम रामदयाल की निशानदेही से घटनास्थल तस्दीक कराया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दोनों फर्दो के गवाह पुलिसकर्मी है। आगे स्वीकार किया है कि उसे अनुसंधान अधिकारी ने स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु लिखित हुक्मनामा नहीं दिया था। आगे स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आस-पास रामलाल, शिवलाल, हीरालाल, रामप्रसाद के खेत है।

15- गवाह पी.ड.-6 डॉ. सत्येन्द्र चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 01.09.2022 को चिकित्सा अधिकारी सी.एच.सी. अकलेरा के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मजरूब रमेश के शरीर पर आई चोटों का मेडीकल किया गया। दौराने परीक्षण मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थी - चोट सं.-1 कुचला हुआ घाव 3*½*1/4 सेमी. सिर के बांई तरफ। उपरोक्त चोट साधारण प्रकृति की व कुंदालय से कारित थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उक्त चोट ठोस धरातल पर सिर के बल गिरने से आ सकती है।

16- गवाह पी.ड.-7 गिरधर सिंह अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.2022 को वृताधिकारी अकलेरा के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना अकलेरा के प्रकरण सं.-468/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे

अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा परिवादी रमेश व गवाहान नानूराम, कल्याणलाल उर्फ रामकल्याण, रमेशचन्द, सोनू, नानूराम भील के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी रमेश की निशानदेही से रूबरू गवाहान प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर ए से बी परिवादी, सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा एक्स व वाई स्थान पर गवाहों के अंगुठा निशानी अंकित है। परिवादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-4 है। मजरूब का मेडीकल कराकर चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम रामदयाल के विरूद्ध 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। मुलजिम की निशानदेही से घटनास्थल तस्दीक कराया, जो प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम द्वारा दी गई सूचना अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम रामदयाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट तथा मुलजिम लेखराज के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र थानाधिकारी अकलेरा रामकिशन ने पेश किया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा करवाये गये तस्दीक मौका पर अनुसंधान अधिकारी पूर्व में ही नक्शा मौका की कार्यवाही के दौरान विजिट कर चुका था।

17- गवाह पी.ड.-8 राजेश कुमार प्रकरण दर्ज करने का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 01.09.2022 को थाना अकलेरा में ए.एस.आई के पद पर पदस्थापित रहते हुए, फरियादी रमेशचंद पुत्र रामकल्याण, निवासी बिन्दायका, थाना अकलेरा में लिखित रिपोर्ट रामदयाल पुत्र रामकल्याण, निवासी बिन्दायका, लेखराज पुत्र नाथुलाल निवासी बिन्दायका के विरूद्ध मारपीट की, जिसकी तहरीर रिपोर्ट उसके द्वारा पेश की, जो प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जो

प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान अधिकारी को तहरीर रिपोर्ट ओर एफ.आई.आर. सुपुर्द की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 फरियादी रमेश के द्वारा नहीं लिखी गयी थी, उसके कहे अनुसार उसके द्वारा लिखी गयी थी। आगे स्वीकार किया है कि घटना 31.08.2022 की थी, लेकिन तहरीर रिपोर्ट उसने 01.09.2022 को दी थी।

18- गवाह पी.ड.-9 दलीप कुमार फर्द तस्दीक घटनास्थल का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.09.2022 को थाना अकलेरा में हैड कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, दिनांक 06.09.2022 को श्रीमान् गिरधर सिंह चौहान, वृत्ताधिकारी वृत्त अकलेरा द्वारा उसके व अन्य गवाहों के समक्ष फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल आरोपी की निशादेही पर बनाया, जो प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने मुलजिम रामदयाल पुत्र कल्याण, निवासी बिन्दायका, थाना अकलेरा की उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी बनायी, जो प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उनके मालखाने में जब्तशुदा तलवारें रखी रहती है। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उनके मालखाने से तलवार लेकर मुलजिम से जब्त बतायी हो।

19- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-2 रमेश व उसके द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपने सशपथ बयानों में यह कहा है कि इसने अभियुक्त रामदयाल को डाटा केबल दे रखी थी और मांगने पर उसने इसे माँ-बहन की गाली दी। जब इसने कहा कि गाली क्यों दे रहा है। उसे उसकी चीज लोटा दे, तो उसने कहा कि बालाजी के मंदिर पर आ जा, यह वहां गया तो वहां पर अभियुक्त लेखराज भी मौजूद था। अभियुक्त रामदयाल ने इसे पत्थर की मारी। फिर इसका भाई इसे अस्पताल ले गया। प्रतिपरीक्षा के दौरान परिवादी अपनी मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों के विरोधाभासी कोई कथन नहीं करता है। साथ ही परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त लेखराज द्वारा इसके साथ गाली-गलौच की हो या मारपीट की हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। गवाह पी.ड.-3 सोनू परिवादी का भाई है, जो अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादी को घटना के बाद अस्पताल ले गया था। यह भी अपने बयानों में कहता है कि यह काम करके गांव में आ रहा था, तो रास्ते में बालाजी के मंदिर के पास इसका भाई रमेश पड़ा था। यह उसको उठाकर अस्पताल ले गया, जहां इसके पिताजी भी आ गये। इसे परिवादी

रमेश ने होश आने के बाद बताया था कि रामदयाल और लेखराज ने इसके साथ चार्जर की बात को लेकर मारपीट की। इसके अलावा कुछ नहीं बताया तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि इसने इसके भाई रमेश के साथ मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा। गवाह पी.ड.-4 नानूराम यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा इस बात की ताईद करता है कि घटना के दिन शाम को 7-8 बजे बालाजी मंदिर के पास लड़ाई-झगड़ा हो रहा था। गवाह पी.ड.-1 रामकल्याण परिवादी का पिता है, जो भी अभियुक्त रामदयाल द्वारा पत्थर से मारने व इसके बेटे के सिर पर चोट कारित करने के बारे में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देता है, यद्यपि परिवादी के भाई पी.ड.-3 सोनू के बयानों के अनुसार इसके पिता भी घटना के बाद अस्पताल आये थे, लेकिन अस्पताल में घटना के तुरन्त पश्चात् परिवादी के मजरूबी हालत में देखने व परिवादी के सिर पर आयी चोट के बारे में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देता है तथा चिकित्सक साक्षी पी.ड.-6 डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार मजरूब रमेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-8 दिनांक 01.09.2022 को इसके द्वारा बनाया गया तथा मजरूब के सिर के बांई तरफ कुचला हुआ घाव मौजूद था, जो कुन्दालय हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोट थी।

20- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-471 दिनांक 02.09.2022 को दर्ज करायी थी तो वास्तव में परिवादी रमेश व उसके भाई सोनू ने बालाजी मंदिर पर आकर अभियुक्त पक्ष के साथ मारपीट की थी। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है तो जहां तक क्रॉस प्रकरण दर्ज होने का संबंध है, दोनों ही अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वयं के तर्क से ही यह जाहिर है कि बालाजी मंदिर के पास डाटा केबल को लेकर दोनों पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ था तथा हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गयी है। अभियुक्त रामदयाल द्वारा डाटा केबल को लेकर हुए विवाद को लेकर स्वेच्छया परिवादी रमेश को कुन्दालय हथियार से साधारण उपहति कारित की व गाली-गलौच दी गई, जिसके लिये अभियुक्त रामदयाल धारा 323, 504 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है। लेकिन स्वयं परिवादी पी.ड.-1 रमेश ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त लेखराज द्वारा उसके साथ मारपीट की हो, गाली-गलौच की हो या उसे जाते हुए को रोककर सदोष अवरोधित किया हो या अन्यथा मारपीट की घटना में अभियुक्त रामदयाल का सहयोग किया हो। अतः अभियुक्त लेखराज धारा 341,

323, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

21- जहां तक अभियुक्त रामदयाल पर आरोपित अपराध धारा 341 भा.दं.सं. का संबंध है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आयी है कि अभियुक्त रामदयाल ने परिवादी रमेश को किसी विशिष्ठ दिशा में जाने से स्वेच्छया सदोष अवरोधित किया हो। अतः अभियुक्त रामदयाल धारा 341 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

22- जहां तक अभियुक्त रामदयाल पर आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट का संबंध है। परिवादी पी.ड.-2 रमेश स्वयं के बयानों से यह जाहिर है कि डाटा केबल के लेन-देन को लेकर ही दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था तथा उसी अनुक्रम में अभियुक्त रामदयाल द्वारा परिवादी रमेश के साथ मारपीट की गयी। यह दर्शित करने के लिये अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है कि अभियुक्त रामदयाल ने परिवादी रमेश के अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानने के कारण उसके साथ मारपीट की हो, बल्कि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त रामदयाल के साथ लेखराज भी मौजूद था तथा लेखराज स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य होना बताया गया है। अतः ऐसी दशा में यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त रामदयाल द्वारा धारा 323, 504 भा.दं.सं. का अपराध परिवादी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण उसके साथ कारित किया हो। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त रामदयाल धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त 1- रामदयाल पुत्र रामकल्याण, उम्र 21 वर्ष, निवासी बिन्दायका, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 341 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(2) परन्तु अभियुक्त 1- रामदयाल को अपराध अन्तर्गत धारा 323 व 504 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(3) अभियुक्त 2- लेखराज पुत्र नाथूलाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिन्दायका, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई</u> -

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त रामदयाल का तर्क है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार व्यक्ति हैं। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वे काफी समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त रामदयाल वर्ष 2022 से करीब 3 वर्ष से अधिक अवधि की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुका है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि जाहिर नहीं की गयी है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त 1- रामदयाल पुत्र रामकल्याण, उम्र 21 वर्ष, निवासी बिन्दायका, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत **10,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एवं इसी

राशि की **एक जमानत**, **एक वर्ष** की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 5** के तहत अभियुक्त **2,000/-रुपये** बतौर अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावे, तो उसे इस प्रकरण में सदाचारिता की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे, अन्यथा दण्डादेश सुनाया जावेगा। साथ ही अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत् उपरोक्त दोषसिद्धि के आधार पर पूर्व में अथवा भविष्य में किसी निर्योग्यता/निर्हरता से ग्रसित नहीं होगा।

2- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूब रमेश को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **18.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.24 16:47:24 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।